न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 142 सन 2019
अनवान :–

1. बलवीर पुत्र चेतरात जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।

बनाम

1. राकेश पुत्र चेतराम जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
2. विनोद पुत्र चेतराम जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
3. सावित्री पुत्री चेतराम जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
4. जमना पत्नी चेतराम जाति सुथार निवासी खरसण्डी तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 15.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 194 / 212 के खसरा न0 14 / 21.7780 ,311 / 3.6940 ,355 / 0.8850हैक कुल तादादी 26.3570हैक जिसके चेतराम पुत्र सुखराम खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 67 / 70 की कुल 36.1790हैक भूमि जिसमें संयुक्त तौर से चेतराम पुत्र सुखराम 320 हिस्से का खातेदार काश्तकार है

चेतराम पुत्र सुखराम का देहान्त हो चुका है जिसके विधिक उतराधिकारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो चेतराम के नाम से दर्ज भूमि के हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,4 वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की मात व बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व मे वादी के पिता चेतराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त हो चुका है जिसके विधिक उतराधिकारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो चेतराम की सम्पति के विधिक वारिस है। तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,4 जो वादी की माता / बहन है ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई / पुत्र के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि चेतराम पुत्र सुखराम के नाम से दर्ज है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का पिता एवं प्रतिवादी संख्या 4 का पति है जिसका देहान्त हो चुका है जिसके विधिक उतराधिकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो प्रस्तुत साक्ष्यों से साबित हे अर्थात चेतराम के नाम से दर्ज कृषि भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 विधिक उतराधिकारी है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 4 जो वादी की माता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि मे उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एव आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 67/70 की कुल 36.1790हैक में सयुक्त तोर से दर्ज 320 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 4 अकेली खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 194/212 की कुल तादादी 26.3570हैक भूमि में सयुक्त तौर से दर्ज 430 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिव के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर रो कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official